न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2014(रसद) (GCMS 2014/00010) पूर्व प्रकरण संख्या 007/2010(रसद)	24.03.2014	13.08.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणसिंह उचित मूल्य दुकानदार जावलियों का खेडा पंचायत रघुनाथपुरा अस्थाई साडास जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मनोज कुमार पिता कैलाशचन्द्र असावा निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार, साडास जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. रतनलाल पिता डालु जाट निवासी साडास जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

विपक्षीगण

व

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2014(रसद) (GCMS 2014/00011) पूर्व प्रकरण संख्या 023/2010(रसद)	13.06.2014	13.08.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता डालु जाट निवासी साडास जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. नारायणसिंह पिता जोधसिंह राजपूत, निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मनोज कुमार पिता कैलाशचन्द्र असावा निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार, साडास जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. रमेशसिंह पुत्र अमरसिंह राव, निवासी राज्यास थाना गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी — प्रवर्तन अधिकारी
सावन श्रीमाली — अधिवक्ता विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत 6–ए में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत्।

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 20.03.2010 को नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** में भरी हुई 30 बोरी गेंहू को बरामद किया गया। उक्त कार्यवाही के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जांच करने पर विपक्षी संख्या 2 मनोज कुमार पिता कैलाशचन्द्र असावा निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार, साडास से जब्तशुदा 420 किलोग्राम गेंहू एवं 500 लीटर केरोसीन एवं विपक्षी संख्या 1 नारायणसिंह उचित मूल्य दुकानदार जावलियों का खेडा पंचायत रघुनाथपुरा अस्थाई साडास से जब्तशुदा 66.95 क्विंटल गेंहू व 360 लीटर केरोसीन कुल 71.15 क्विंटल गेंहू व 860 लीटर केरोसीन के निस्तारण हेतु प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया।

इस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 007/2010 (रसद) दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया। दिनांक 04.05.2010 को विपक्षी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता सत्यनारायण ईनाणी तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 की और से उनके अधिवक्ता कैलाशचन्द्र चौखडा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 04.05.2010 को विपक्षी संख्या 2 व 3 की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 18.05.2010 को विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर न्यायालय हाजा द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 01.06.2010 से प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू कुल 71.15 क्विंटल मय बारदान तथा कुल 860 लीटर केरोसीन मय ड्रम के राजसात **(Confiscate)** किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 चित्तौड़गढ़ के समक्ष दाण्डिक अपील संख्या 002/2012 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.03.2014 से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्रों को रिकार्ड पर लेकर दोनों पक्षों की सुनवाई का नियमानुसार समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण में विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने बाबत् निर्देश दिये जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया जाकर उभयपक्षकारान की दिनांक 03.04.2014 को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया है। इस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दिनांक 24.03.2014 को प्रकरण संख्या 001/2014(रसद) पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 20.03.2010 को नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** में भरी हुई 30 बोरी गेंहू को बरामद किया गया। उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया।

इस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 023/2010 (रसद) दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 को तलब किया गया। दिनांक 22.06.2010 को विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 की और से उनके अधिवक्ता कैलाशचन्द्र चौखडा तथा विपक्षी संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता सत्यनारायण ईनाणी हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 13.07.2010 को विपक्षी संख्या 1 व 4 तक की और से उनके अधिवक्तागण द्वारा जवाब पेश किये गये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर न्यायालय हाजा द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 26.10.2010 से थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 20.03.2010 को वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** से जब्त किये गये 30 बोरी गेंहू का राजसात **(Confiscate)** किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर विपक्षी संख्या 4 रमेशसिंह पिता अमरसिंह राव निवासी राज्यास थाना गंगरार द्वारा माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 चित्तौड़गढ़ के समक्ष दाण्डिक अपील संख्या 003/2012 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.05.2014 से प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि सभी पक्षों को सुनवाई का नियमानुसार समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण में विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने बाबत् निर्देश दिये जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान की दिनांक 17.06.2014 को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया है। इस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दिनांक 13.06.2014 को प्रकरण संख्या 002/2014(रसद) पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 30.03.2015 को प्रकरण संख्या 002/2014 (रसद) में विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की और से उनके अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस प्रकार न्यायालय हाजा में लम्बित दोनों प्रकरणों में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 054/2010 दिनांक 20.03.20210 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किये जाने हेतु लम्बित है। हस्तगत प्रकरण में एवं दीगर लम्बित प्रकरण संख्या 001/2014 में थानाधिकारी पुलिस थाना द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 20.03.2010 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण का प्रश्न निहित है, अतः उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर एक ही निर्णय पारित किये जाना उचित होने से सुनवाई हेतु एक साथ क्लब किया जाकर सुनवाई हेतु रखा गया।

इस पर सर्वप्रथम पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने दोनों आवेदनों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पुलिस थाना गंगरार ने दिनांक 20.03.2010 को प्रातःकाल दौराने नाकाबंदी प्रकरण संख्या 001/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 3 जो प्रकरण संख्या 002/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 1 है से महिन्द्र पिकअप **RJ 09 GA 2652** में भरकर ले जाते धारा 102 सीआरपीसी के अन्तर्गत 30 बोरी गेंहू जब्त किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसंधान/जांच में विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त गेंहू विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भरवाया जाना अवगत कराया गया। इस पर विपक्षी संख्या 2 की दुकान खुलवाकर भौतिक सत्यापन कराये जाने पर 420 किलोग्राम गेंहू व 500 लीटर केरोसीन पाया गया। विपक्षी संख्या 2 के पिता द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर में बी.पी.एल. गेंहू 420 किलोग्राम दर्ज पाया गया। केरोसीन बाबत् कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। थोक विक्रेता क्रय–विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 19.03.2010 को चालान संख्या 3316 द्वारा विपक्षी संख्या 1 ने अन्त्योदय गेंहू कुल 24.10 क्विंटल का उठाव किया गया जो स्टॉक में दर्ज नहीं पाया गया। इससे गोदाम में रखा 420 किलोग्राम गेंहू मय बारदान व केरोसीन 500 लीटर मय ड्रमों के सीजकर कर उचित मूल्य दुकानदार जवासिया की सिपुर्दगी में दिया गया।

विपक्षी संख्या 1 उचित मूल्य दुकानदार स्थाई जावलियों का खेडा का होने से जावलियों का खेडा जाकर दर्ज घोषित गोदाम का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 360 लीटर केरोसीन पाया गया। दूसरे अघोषित गोदाम का सत्यापन करने पर नेफेड व हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्री कॉर्पोरेशन मार्का एफ.सी.आई. के कट्टे कुल 63 पेक व 7 लूज एवरेज वनज प्रति कट्टा 50 किलोग्राम से 33.20 क्विंटल पाया गया। इसी के बरामदे से कुल 67 पैक सिलाई मशीन के टांक से व 1 लूज एवरेज वजन 50 किलोग्राम से 33.75 क्विंटल पाया गया। कुल कट्टे 138 वजन 66.95 क्विंटल मिले।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टॉक रजिस्टर वर्ष 2009 का पेश किया जिसमें माह दिसम्बर 2009 तक का ही इन्द्राज हैं दिनासंक 19.03.2010 को क्रय–विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ से नग 52 वजन 26.20 क्विंटल का चालान नंबर 3315 से उठाव किया, जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 से गेंहू 138 कट्टै वजन 66.95 क्विंटल मय बारदान व करोसीन 360 लीटर मय ड्रमों के सीजकर जी.एस.एस. तुम्बडिया की सिपुर्दगी में दिये गये।

इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा गम्भीर अनियमितता करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दोनो आवेदनों में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर विपक्षीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम जावलियों का खेडा की उचित मूल्य की दुकान चलाता है एवं ग्राम साडास की उचित मूल्य दुकान का अस्थाई भार सौंप रखा है। उचित मूल्य का जो गेंहू वितरण करने हेतु आता है उसके लिये टोकन जिला रसद अधिकारी जारी करते है और उसी अनुसार गेंहू का वितरण किया जाता है। जितना केरोसीन मौके पर मिला उसका स्टॉक रजिस्टर में बराबर इन्द्राज है। पिकअप वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** में जो गेंहू मिला उसे बोरियों में भरा बताया है न की अन्त्योदय कट्टों में। वास्तविकता यह है कि अन्त्योदय का जो गेंहू साडास के लिये चालान संख्या 3316 के द्वारा उठाया गया वह गाडी खराब हो जाने से जावलियों का खेडा में उतारा गया जिसका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट जावलियों का खेडा स्टॉक रजिस्टर में उसी समय अंकित किया गया। जावलियों का खेडा पर जो केरोसीन मिला उसका स्टॉक रजिस्टर में पूरा इन्द्राज है। लक्ष्मण पिता हीरा जाट के यहां अघोषित गोदाम होने की बात गलत है। गेंहू कुल 138 कट्टे वजनी 66.90 क्विंटल होना बताया जो दर्ज स्टॉक के अनुसार पूर्णतया सही है। चालान संख्या 3315 के द्वारा 52 बेग वजनी 26.20 क्विंटल गेंहू आया। जो स्टॉक रजिस्टर में अन्त्योदय 10 बेग एवं एपीएल 40 बेग एवं अन्नपूर्णा 2 बेग कुल 52 बेग कुल वजनी 26.20 क्विंटल अंकित है। अन्त्योदय में पहले का स्टॉक 28 बेग तथा चालान संख्या 3315 से 10 बेग व साडास का चालान संख्या 3316 से जो गेंहू गाडी खराब होने से जावलियों का खेडा में रखा गया वह 48 बेग इस प्रकार कुल अन्त्योदय गेंहू 86 बेग कुल वजनी 43.14 क्विंटल तथा एपीएल का पूर्व स्टॉक 10 बेग एवं 40 बेग जरिये चालान संख्या 3315 से आया जो इस प्रकार कुल 50 बेग कुल वजनी 22.81 क्विंटल व अन्नपूर्णा 2 बेग इस प्रकार अन्त्योदय, एपीएल एवं अन्नपूर्णा के गेंहू कुल 138 बेग कुल वजनी 66.95 क्विंटल होता है। इस प्रकार कोई अनियमितता होने का प्रश्न ही नहीं है।

इसके साथ ही विपक्षी संख्या 1 का पिकअप **RJ 09 GA 2652** से जब्तशुदा गेंहू 30 बोरी से कोई संबंध नहीं है न ही यह गेंहू सरकारी ही था और जो बारदान भी राशन के गेंहू का था। सिर्फ शंका के अधार पर सारी कार्यवाही गलत की गई है।

इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा अवगत कराया गया कि पिकअप **RJ 09 GA 2652** में भरा हुआ गेंहू रमेशसिंह पिता अमरसिंह राव निवासी राज्यास का है, जिन्होने गेंहू ले जाने हेतु पिकअप किराये पर ली थी। रमेशसिंह काश्तकार है और उनके गेंहू की खेती है और यह गेंहू उनके खेती का है जिसे राज्यास से बस्सी ले जाने हेतु उन्होंने पिकअप किराये पर ली थी। अतः महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** से जब्तशुदा गेंहू रमेशसिंह पिता अमरसिंह राव निवासी राज्यास को दिलवाया जावें।

प्रकरण संख्या 002/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 4 रमेशसिंह पिता अमरसिंह राव निवासी राज्यास की और से अवगत कराया गया है कि विपक्षी कृषक है जिसके 6 बीघा में गेंहू की फसल हुई। यह गेंहू अपने गांव राज्यास से बस्सी ले जाने हेतु पिकअप किराये पर लिया गया जो रतनलाल ड्राईवर चला रहा था। यह गेंहू राशन का होने का प्रश्न ही नहीं है। पुलिस से इस मात्र शंका के आधार पर जब्त किया जो गलत है। गेंहू विपक्षी संख्या 4 का है जो प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावा जावें एवं पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 20.03.2010 को वाहन महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या **RJ 09 GA 2652** से जब्तशुदा 30 बोरी गेंहू प्रकरण संख्या 002/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 4 रमेशसिंह पिता अमरसिंह राव निवासी राज्यास को सिपुर्द किया जावे तथा जब्तशुदा माल गेंहू व केरोसीन उचित मूल्य की दुकान साडास व जावलियों का खेडा का जिसका जितना बनता है वह वितरण हेतु विपक्षी प्रकरण संख्या 001/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 1 नारायणसिंह पिता जोधसिंह राजपूत, निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को दिलवाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार ने बताया कि गेंहू अन्त्योदय योजना का जो कट्टो से बोरियों में भरकर अन्यत्र कालाबाजारी में विक्रय के लिये ले जाया जा रहा था एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण जब्त किया जाकर सुपुर्दगी में दिया गया। अंत में प्रार्थना की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 20.03.2010 को की गई कार्यवाही में जब्तशुदा कुल 71.15 क्विंटल मय बारदाना, केरोसीन 860 लीटर मय ड्रम तथा पिकअप **RJ 09 GA 2652** से जब्तशुदा 30 बोरी गेंहू का निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें। धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा कुल 71.15 क्विंटल मय बारदाना, केरोसीन 860 लीटर मय ड्रम तथा पिकअप से जब्तशुदा 30 बोरी गेंहू राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हमने फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। पुलिस थाना गंगरार द्वारा नाकाबंदी के दौरान पकडे गये गेंहू के संबंध में वाहन महिन्द्रा पिकअप **RJ 09 GA 2652** के चालक द्वारा गेंहू उचित मूल्य दुकान के होना बतया गया। इस पर जांच अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकान जावलियों का खेडा तथा साडास के रेकार्ड की जांच करने स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 19.03.2010 को प्राप्त किये जाने वाले गेंहू का इन्द्राज नहीं पाया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध छाया प्रति से प्रमाणित होता है। जहां विपक्षी संख्या 1 द्वारा गाडी खराब होने का तथ्य अवगत कराया जाकर उसे जावलियों का खेडा में उतारकर वहां के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किये जाना अवगत कराया गया है इस संबंध विपक्षीगण लगभग 10 से अधिक वर्षो की दीर्घ कालीन अवधि में भी इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है जो विपक्षीगणों के जवाब/तर्को को बल प्रदान करते हो। इसके साथ ही पुलिस द्वारा वाहन पिकअप **RJ 09 GA 2652** के ड्राईवर से की गई प्रारम्भिक पूछताछ में इस प्रकार को कोई कथन वाहन चालक द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को उक्त तथ्य मनगढन्त एवं तथ्यों के विपरित होना जाहिर होते है।

विपक्षीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के जब्तशुदा कुल 71.15 क्विंटल मय बारदाना, केरोसीन 860 लीटर मय ड्रम तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिकअप से जब्तशुदा 30 बोरी गेंहू मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में लम्बित दोनों प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते है एवं दिनांक 20.03.2010 को पुलिस थाना गंगरार द्वारा की गई कार्यवाही में जब्तशुदा 30 बोरी गेंहू मय बारदाना एवं प्रकरण संख्या 001/2014(रसद) के विपक्षी संख्या 1 व 2 से जब्तशुदा गेंहू कुल वजनी 71.15 क्विंटल मय बारदाना, कुल केरोसीन 860 लीटर मय ड्रमों के राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त समस्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ तथा थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। निर्णय की मूल प्रति प्रकरण संख्या 001/2014(रसद) में रखी जावे तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण संख्या 002/2014 (रसद) में हम किता की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **13.08.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official